खाद्य सुरक्षा विधेयक

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित और बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी),को मंजूरी दे दी है, इससे मौजूदा बजट सत्र में इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का रास्ता साफ हो गया है.

इसके लागू होने से लगभग दो-तिहाई भारतीय जनसंख्या को प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति पांच रुपए प्रति किलो के दर से सस्ते अनाज का कानूनी हक प्राप्त होगा. चावल तीन रुपए प्रति किलो (बाजार मूल्य 20 रुपए प्रति किलो से अधिक), गेंहू दो रुपए प्रति किलो (बाजार मूल्य 16 रुपए प्रति किलो) और मोटा अनाज एक रुपए प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाएगा.

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) जो गरीब से गरीबतम को लक्ष्य करता है उसके मौजूदा लाभ उसी प्रकार बरकरार रहेंगे.

दिसंबर 2011 में लोक सभा में प्रस्तुत मूल विधेयक में केन्द्र ने वरीयता वर्ग के लिए क्रमशः तीन रुपए, दो रुपए और एक किलो के हिसाब से सात किलो चावल अथवा गेंहू अथवा बाजरे का प्रस्ताव किया था और सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए 50 प्रतिशत के समर्थन मूल्य पर प्रति व्यक्ति को हर महीने तीन किलो अन्न का प्रस्ताव किया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अलग से, चीनी पर लेवी की प्रणाली से संबंधित निर्णय को आस्थगित कर दिया है. अगली बैठक में इसको एजेंडा में शामिल करने की संभावना है. इस प्रणाली के तहत निजी मिल मालिक सरकार को रियायती दर पर चीनी की निश्चित मात्रा की बिक्री करेंगे.

एनएफएसबी के संशोधित रूप में खाद्य पर संसद की स्थायी समिति के सुझावों को शामिल किया गया है. पैनल ने 55 संशोधन सुझाए थे और उनमें से अधिकांश को खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वीकार कर लिया है. पूरी तरह से लागू होने पर 2013-14 के 90,000 करोड़ रुपए के खाद्य सब्सिडी आवंटन के मुकाबले राजकोष पर लगभग 131,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. लगभग 62 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी.

संशोधित विधेयक में गरीबी से रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के पूर्ववर्ती विभाजन को हटाया गया है. संसद की स्थायी समिति ने एपीएल और बीपीएल के साथ ही एएवाई वर्ग को भी समाप्त करने का सुझाव दिया था जिसे खाद्य मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया.

राष्ट्रीय स्तर पर अब 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी वर्ग को समाविष्ट किया जाएगा. इस मोटी परिभाषा में एनएफएसबी राज्यों को लचीलापन प्रदान करेगा. श्री थॉमस ने कहा 'लाभार्थियों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा जबकि 33 प्रतिशत आबादी को इससे बाहर रखने का मानदंड योजना आयोग तय करेगा.' इससे पहले समान छूट के मानदंड का प्रस्ताव किया गया था लेकिन बिहारए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को इसमें अधिक लचीलेपन के लिए लिखा.

केन्द्र परिवहन, खाद्यान्नों के रखरखाव और राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. महिलाओं को पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक में मातृत्व सुरक्षा के लिए कम से कम 6,000 रुपए का प्रावधान है जिसका भुगतान किश्तों में किया जाएगा. इन किश्तों का निर्धारण बाद में किया जाएगा. पहले यह छह महीनों के लिए 1,000 रुपए की किश्त के रूप में था. मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर प्रमुख संस्तुतियां.

(स्रोत. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संकलित)

संसद में 2011 में प्रस्तुत मसौदा खाद्य सुरक्षा विधेयक	64 प्रतिशत आबादी को कानूनी अधिकार	वरीयता और सामान्य आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण	वरीयता वर्ग के परिवारों को प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति 7 किलो अनाज और सामान्य वर्ग को 3.4 किलो अनाज	खाद्य विधेयक में मोटे तौर पर 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या समाविष्ट हो	गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी से पकाया भोजन मिलेगा
स्थायी समिति की संस्तुतियां	लगभग 67 प्रतिशत आबादी को कानूनी अधिकार	कोई वर्गीकरण नही	सभी लाभार्थियों को समान रूप से प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज	कोई बदलाव नहीं	गर्भवती महिलाओं को प्रति माह पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न
अंतिम खाद्य विधेयक**	लगभग 67 प्रतिशत को कानूनी अधिकार	अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे के वर्ग को मिलाया जाना बरकरार रखा गया है.	सभी लाभार्थियों को समान रूप से प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज	खाद्य विधेयक में मोटे तौर पर 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या समाविष्ट हो	छह माह तक प्रत्येक महीने 1,000 रुपए का मातृत्व लाभ
मौजूदा टीपीडीएस	कोई कानूनी अधिकार नहीं	योजना आयोग के 1993-94 और भारत के महापंजीयक के मार्च 2000 के गरीबी आकलन के अनुसार जनसंख्या को एपीएलए, बीपीएल और एएवाई में वर्गीकृत किया गया	सभी बीपीएल और एएवाई परिवारों को प्रत्येक माह प्रति परिवार 35 किलो के हिसाब से आवंटन और एपीएल परिवारों को प्रति माह प्रत्येक किलो के बीच आवंटन	समान रूप से 60-65 प्रतिशत जनसंख्या समाविष्ट	कोई प्रावधान नहीं

* मध्याह्न भोजन योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को आवंटित अतिरिक्त 8 मिलियन टन गेंहू और चावल शामिल नहीं

** जैसा मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गयाए टीपीडीएस.लक्षित जन वितरण प्रणाली स्रोत मसौदा खाद्य सुरक्षा विधेयक और संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट